

सेवा में

प्रबन्ध निदेशक

नार्दन रेलवे प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि०

शाखायें - मुख्य शाखा, लखनऊ इलाहाबाद, मुरादाबाद, डी०एल०डब्लू वाराणासी, कानपुर, आलमबाग-लखनऊ महोदय,

विषय : लाभांश (डिविडेंड) के रूपये का भुगतान संशोधित उप नियम के अनुसार

31 मार्च 20के लाभांश (डिविडेंड) का भुगतान।

मैं अपने अंशों पर जोकि एन०आर०पी०सी०बी० लि० में है, ऊपर लिखे वर्षों के लाभांश को लेना चाहता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि भुगतान निम्नलिखित ढंग से कर दिया जाय।

(क) मनीआर्डर द्वारा (डाकखाने का कमीशन काटकर)

(ख) अपने खजान्ची द्वारा

(ग) मेरे सेविंग बैंक एकाउन्ट नं०में जमा कर दिया जाय।
भवदीय

स्थान

दिनांक

हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी

हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी

पूरा नाम

पिता का नाम

पदनाम तथा कार्यालय का पता

मेम्बर संख्या

पी०एफ० संख्या

बिल यूनिट संख्या

शेयर खाता संख्या

ऋण खाता संख्या

(विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर और मोहर)

स्थान

दिनांक

कार्यालय के प्रयोग के लिए

देय रूपया.....

शब्दों में.....)

प्राप्त रूपया.....

भुगतान

भागीदारी का निशानी अंगूठा/हस्ताक्षर

कृते प्रबन्ध निदेशक

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त भागीदार ने मेरे समक्ष हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी किया/लगाया है जिसे मैं प्रमाणित करता हूँ।

प्रमाणित करने वाले अधिकारी के

हस्ताक्षर एवं मोहर

लाभांश को प्रत्येक वर्ष साधारण सभा द्वारा घोषित किया जाता है। वह भागीदार के "शेयर्स डिविडेंड के खाते" में जमा कर दिया जायेगा और जिसका भुगतान अंश के रूपये के साथ उस समय होगा, जबकि वह सदस्यता का त्याग कर देगा। या अवकाश प्राप्त (रिटायर) हो जायेगा। कोई भी सदस्य यदि वह चाहे तो निश्चित प्रार्थना-पत्र देकर अपना लाभांश नगद ले सकता है, उसे प्रार्थना-पत्र बैंक कार्यालय से प्राप्त हो जायेगा।